न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 97/2019
पंजीयन दिनांक 14.08.2019

(1). गणपतलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी बड़ी तहसील कपासन नई तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). संतोष पुत्री लेहरू जाति जाट निवासी बड़ी तहसील कपासन नई तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
(3). झमकु बेवा लेहरू जाति जाट निवासी बड़ी तहसील कपासन नई तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). छगन लाल पिता गोकल जाति जाट निवासी बड़ी तहसील कपासन नई तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।
(3). बद्रीलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी बड़ी तहसील कपासन नई तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन
प्रकरण संख्या 332/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2017

उपस्थित वक्त बहस-(1). सुरेश कुमार बापना-अधिवक्ता अपीलांट
(2). रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 - बावजूद सूचना अनुपस्थित
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

निर्णय **दिनांक 28.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने अपीलांट्गण व अन्य रेस्पोडेन्ट्गण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा बड़ी तहसील कपासन की आराजी संख्या 364 रकबा 1.21 हैक्टेयर, आराजी संख्या 365 रकबा 0.87 हैक्टेयर , आराजी संख्या 366 रकबा 0.91 हैक्टेयर, आराजी संख्या 435 रकबा 0.44 हैक्टेयर, आराजी संख्या 436 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी संख्या 437 रकबा 0.04 हैक्टेयर , आराजी संख्या 438 रकबा 0.71 हेक्टेयर, आराजी संख्या 439 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आराजी संख्या 440 रकबा 0.60 हैक्टेयर, आराजी संख्या 441 रकबा 0.40 हैक्टेयर, आराजी संख्या 442 रकबा 0.10 हैक्टेयर, आराजी संख्या 708 रकबा 0.72 हैक्टेयर, आराजी संख्या 709 रकबा 0.12 हैक्टेयर , आराजी संख्या 855 रकबा 1.57 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 7.76 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 1/2 व प्रतिवादीगण अपीलांट्गण संख्या 1 से 4 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। मौजा बड़ी तहसील कपासन की आराजी संख्या 978 रकबा 0.18 हैक्टेयर , आराजी संख्या 979 रकबा 0.44 हैक्टेयर , आराजी सख्या 980 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आराजी संख्या 984 रकबा 0.70 हैक्टेयर , आराजी संख्या 986 रकबा 0.94 हैक्टेयर, आराजी संख्या 987 रकबा 0.77 हैक्टेयर, आराजी संख्या 988 रकबा 0.34 हैक्टेयर, आराजी संख्या 989 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आराजी संख्या 996 रकबा 1.09 हैक्टेयर, आराजी संख्या 997 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.91 हैक्टेयर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 1/2 , अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। इसी अनुसार मौजा बड़ी तहसील कपासन की आराजी संख्या 433 रकबा 0.33 हैक्टेयर मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपीलांट्गण का 1/2 हक व हिस्सा निहित है। उसी अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा करवाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे अलग-अलग दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट्गण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की किए गए। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। जवाबदावे हेतु कई अवसर लिए गए परन्तु अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.06.2016 को उक्त पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट फलासिया मे नियत की जाकर निर्णित की गई व हक व हिस्से के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार भूपालसागर को फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया। कमिश्नर के द्वारा विवादित कृषि आराजीयात के संबंध मे मौजा बड़ी तहसील कपासन की आराजीयात के संबंध मे फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी को सुना जाकर फर्द बंटवाड़े के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 अपीलांट्गण ने असंतुष्ट होकर म्याद बाहर इस न्यायालय मे प्रथम अपील मय प्रार्थना-पत्र धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 अपीलांट्गण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। वक्त बहस रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 3 अनुपस्थित रहे।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलांट्गण अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण सख्या 1 से 4 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादपत्र मे वर्णित कृषि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजीयात का बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने तहसीलदार भूपालसागर को फर्द बंटवाड़े हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर स्वयं ने पक्षकारान को सूचित किये बगैर अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाड़ा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसमे पूर्व मे हुए बंटवाड़े को व बंटवाड़ा नियम 18 से 21 को अनदेखा कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किया गया व उसी फर्द बंटवाड़े के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की अनुपस्थिति मे अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिसके विरुद्ध अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कमिश्नर के द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवाड़े के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे बिना साक्ष्य सबूत व बिना किसी लिखित राजीनामे के दिनांक 14.06.2016 को लोक अदालत मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमे तहसीलदार भूपालसागर को फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। कमिश्नर के द्वारा अपीलांट्गण प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की सूचना फर्द बंटवाड़े हेतु दिया जाना नही पाया जाता है। अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की अनुपस्थिति मे कमिश्नर स्वयं के द्वारा फर्द बंटवाड़ा तैयार नहीं किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया गया जिसमे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा बंटवाड़े के संबंध मे पारित बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना होना नहीं पाया जाता है। उसी फर्द बंटवाड़े के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की अनुपस्थिति मे अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होना नहीं पाया जाने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन प्रकरण संख्या 332/2015 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2017 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे कमिश्नर स्वयं के द्वारा बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवाड़ा तलब किया जाकर उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान को सुना जाकर विधि सम्मत अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 07.12.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)